जिला कृषि अधिकारी,सीतापुर

जन सूचना के अधिकार के अर्न्तगत 17 बिन्दुओं पर सूचना

क्र0स0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1.	अपने संगठन की विशिष्टियां कार्य एवं कर्तव्य	किसानो के उत्पादन बढाने हेतु प्रमाणित बीज, उर्वरक, उन्नतशील कृषि यंत्र आदि कृषि निवेशों की आपूर्ति प्रदर्शन, प्रचार/प्रसार किया जाता है कृषि उत्पादन से संबन्धित आंकड़ों को संकलित कर सूचना साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक प्रेषित की जाती है।
2.	अपने अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	कर्मचारी एवं अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं और राज्य सरकार के अधीन ही शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
3.	निर्णय पारित करने की प्रक्रिया और इनके अर्न्तगत पर्यवेक्षण और जबाबदेही रीतियां	क्रम से निम्न अधिकारी/ कर्मचारी कार्यरत हैं। जिला कृषि अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहायक कृषि निरीक्षक, प्रक्षेत्र अधीक्षक, यांत्रिक सहायक, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी आदि कार्यरत है। शासन द्वारा संचालित कार्यक्रम का संचालन/ निरीक्षण/ पर्यवेक्षण किया जाता है। कार्यालय विकास भवन सीतापुर में स्थित है।
4.	अपने कार्यों को सम्पादित करने हेतु अपनाया जाने वाला मापदण्ड	जिला कृषि अधिकारी, नियंत्रण अधिकारी का पद सृजित है जिसके नियंत्रण में अपर जिला कृषि अधिकारी ,सहायक विकास अधिकारी ,कृषि ,सहायक कृषि निरीक्षक , प्रक्षेत्र अधीक्षक, यांत्रिक सहायक, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रह कर शासकीय कार्य संपन्न करते हैं।
5.	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त ,अपने नियंत्रणाधीन नियमों , विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेख	संस्था द्वारा जिला कृषि अधिकारी ,अ0जि0कृ0अ0, मैकेनिक, सहायक मैकेनिक, स0वि0अ0 कृषि, स0कृ0नि0, प्र0अ0, नलकूप चालक, ट्रैक्टर चालक, कार्यालय सहायक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तथा अन्य कर्मचारी जो कार्यरत हैं को शासनादेश एवं पूर्व घोषित नियमावली के अनुसार कार्य करते हुये अभिलेख सुरक्षित रखे जाते हैं।
6.	अपने अधीन या धारित अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन	शासन द्वारा प्रदत्त अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं नियमानूुसार अवलोकन एवं कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है।
7.	कोई प्रबन्ध जो परामर्श के लिये अस्तित्व में है या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेने का विवरण	इस संस्था का जिला पंचायत अध्यक्ष के निर्देशन तथा जिला स्तर की कमेटियों जिसमें जन प्रतिनिधि भाग लेते हैं , कार्यक्रम को अनुमोदित कराया जाता है।
8.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जोकि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से इसके भागरूप में गठित है या इसके सलाल के लिये का विवरण और अन्य बोर्डों, परिषदों ,समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिये खोले गये हैं या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुंच के अधीन का विवरण	जिला प्रशासन की बैठक में शासन की मंशा के अनुरूप समस्त जनप्रतिनिधियों की राय / सुझाव ली जाती हे तदनुसार कृषि कार्यक्रम का संचालन किया जाता है।

क्र0स0	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
9.	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निदेशिका	इस सस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10.	अपने प्रत्येक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन/ पारितोषिक ,इसके अर्न्तगत प्रतिकर का ढ़ग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है।	संस्था नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के आंकड़े उपलब्ध कराते हैं तथा त्रैमासिक आंकड़े उप कृषि निदेशक ,सीतापुर तथा संयुक्त कृषि निदेशक, लखनऊ मण्डल लखनऊ को उपलब्ध कराया जाता है।
11.	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित हे जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानो का विवरण	इस संस्था का बजट जिला संगठन योजना ,बीज प्रक्षेत्र योजना ,सरप्लस योजना तथा निदेशक पंचायत राज से बजट प्राप्त होता है जिसका समुचित उपभोग नियमानुसार करके सम्बन्धित अधिकारियों को मासिक प्रत्येक माह में व्यय विवरण भेजा जाता है।
12.	उपदान कार्यक्रम के निष्पादन का ढ़ग, जिसके अर्न्तगत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होगे, का विवरण	आइसोपाम योजना के अर्न्तगत बजट उप कृषि निदेशक सीतापुर को आहरण वितरण हेतु आता है इस संस्था द्वारा कृषि निवेशों जैसे बीज अनुदान पर वितरित कर एवं प्रदर्शन सम्पन्न कराकर लाभार्थियों की सूची सहित बिल समायोजन हेतु उप कृषि निदेशक को भेजा जाता है।
13.	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों , अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण।	समय समय पर शासन के निर्देशानुसार कृषकों को कृषि निवेशों पर अनुदान दिया जाता है तथा उत्पादन बढ़ाने हेतु फसलों का प्रदर्शन कृषकों के यहां कराया जाता है।
14.	अपने द्वारा प्रदान की गई सूचना या प्रदान न की गइ सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गई सूचना का विवरण	संस्था द्वारा समस्त सूचनायें उच्चाधिकारियों को संकलित कर भेजी जाती हैं आवश्यकतानुसार प्रिन्ट मीडिया ,इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार किया जाता है।
15.	सूचना प्राप्त करने हेतु नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें ,इसके अर्न्तगत पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग के लिये है का विवरण।	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है।
16.	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पद तथा अन्य विवरण	डा0 ए0 के0 सिहं ,उप कृषि निदेशक प्रथम अपीलीय अधिकारी, वी0एन0 पांडे जन सूचना अधिकारी ,जिला कृषि अधिकारी/ सुखराम यादव, सहायक जन सूचना अधिकारी, अपर जिला कृषि अधिकारी।
17	ऐसी अन्य सूचना जो विहित की जाये, और तदनुसार इन प्रकाशनो को अपडेट करेगा।	शासन के निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

जिला कृषि अधिकारी
सीतापुर